(10)

राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा
प्रकरण क्रमांक R- 1153-तीन/14

1- रघुवंश प्रसाद ओझा तनय इन्द्रमणि प्रसाद ओझा निवासी ग्राम मिसिरपुरा तहसील हनुमना जिला रीवा म.प्र. । ---------

2- रामलखन ओझा तनय इन्द्रमणि प्रसाद ओझा निवासी ग्राम मिसिरपुरा तह० हनुमना जिला रीवा म.प्र.

------ निगरानी कर्तागण ।

बनाम

राजमणि तनय शिवशंकर राम ब्रा. निवासी ग्राम मिसिरपुरा तह. हनुमना जिला रीवा म.प्र.

------ गैर निगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध राजस्व निरीक्षक मंडल हनुमना तहसील हनुमना के द्वारा तरमीम नक्शा आदेश दि. 16-8-13 को निरस्त किए जाने ।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959ई.

R.S.P. कारडी ... पेश आज दिनांक 25-3-14 को किया गया।

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

7-4-14

रघुवंशप्रसाद / राजकिशोर (देवा)
R. 1153 – तीन/14

7.4.2014

यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल हनुमना तहसील हनुमना व्दारा तरमीम नक्शा आदेश दिनांक 16–8–13 को निरस्त करने के सम्बन्ध में म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में दिनांक 25–3–14 को प्रस्तुत की गई है।

2/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने गये।

4/ आवेदकगण की ओर से 16–8–13 के आदेश के विरूद्व दिनांक 25–3–14 को अर्थात 07 माह वाद निगरानी प्रस्तुत की गई है जबकि इस हेतु केवल 60 दिवस की समयावधि निर्धारित है। निगरानी मेमो के साथ अवधि विधान की धारा–5 का आवेदन एंव पुष्टिकरण में शपथ पत्र आदि भी नहीं दिया गया है एंव विलम्ब के दिन–प्रतिदिन का हिसाव भी नहीं दिया गया है।

5/ अतएव निगरानी अवधि–वाह्य पाये जाने से अमान्य की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें।

(हस्ताक्षर)
सदस्य